

III. खपत और विकास

67. पिछले दो वर्षों में अर्थ-व्यवस्था को, साधनों के सम्बन्ध में कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। न तो राष्ट्रीय उत्पादन में और न देश में आने वाली विदेशी पूंजी में कोई खास वृद्धि हुई। सभी साधनों के लगभग गतिहीन हो जाने से खपत और विकास के स्तर पर दूर-व्यापी प्रभाव पड़ा। कृषि पर आधारित आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की प्रति-व्यक्ति खपत कम हो गयी, परन्तु सरकार की नीति जनता को अत्यधिक कष्ट से बचाने में सफल हुई। सूखे के कारण बजट सम्बन्धी स्थिति पर कई प्रकार से इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, कि विकास सम्बन्धी और दूसरे प्रकार के सरकारी खर्च को सीमित करना पड़ा। सम्भवतः जिस गति से पूंजी का निर्माण हो रहा था उसमें बाधा पड़ गयी। ठीक तरह से देखा जाय, तो साधनों की अत्यधिक तंगी केवल थोड़ी अवधि के लिए है और आने वाले वर्षों में अर्थ-व्यवस्था के विकास की सम्भावनाओं के बारे में इससे प्रभावित होकर कोई राय कायम नहीं करनी चाहिये।

खपत के निर्देशक

68. सुव्यवस्थित तथा नवीनतम आंकड़ों के अभाव में, खास तौर से स्टॉक की घटबढ़ के सम्बन्ध में, उपभोग के स्तर और उसके तरीकों में हर वर्ष होने वाले परिवर्तनों का पता लगना मुश्किल होता है। फिर भी, मोटे तौर पर बड़े-बड़े परिवर्तनों का कुछ निर्देश लाभदायक हो सकता है।

69. 1960-63 के तीन वर्षों के 16.2 औंस के औसत के मुकाबले 1966-67 में अन्न की उपलब्धि 14.2 औंस प्रति दिन आंकी गयी है। अनुमान है कि जो लोग अपने लिये अपने आप अनाज पैदा नहीं करते या जिनकी फसल पर अकाल के कारण बुरा असर पड़ा है उनके उपभोग के अनुपात में और भी अधिक कमी हुई होगी किन्तु सरकार द्वारा किये गये उपायों से, जिन में असाधारण आयात के लिये किये गये प्रबन्ध भी शामिल हैं, समाज के कमजोर वर्गों के लिये अन्न की अप्राप्यता कम से कम रखने में सहायता मिली है। (पैरा 3 से 5 तक देखिए) हालांकि

पिछले वर्ष खाद्य तेलहन की उपलब्धि बहुत कम हुई पर, उसके मुकाबले अब प्रति व्यक्ति कुछ अधिक तेलहन मिलने लगा है (सारणी 2 देखिये) फिर भी 1966-67 में तेलहन की प्राप्ति का स्तर 1960 से शुरू होने वाले दशक के प्रारम्भिक वर्षों के मुकाबले बहुत नीचा रहा। 1965-66 में सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत कम होने लगी और 1966-67 में भी कम होती रही। किसी भी सामान्य घरेलू बजट में इन तीनों चीजों अर्थात् अनाज, खाद्य-तेल और कपड़े पर किये जाने वाले खर्च का अनुपात बहुत अधिक होता है। दूसरी ओर सारणी 2 में संकलित चुने हुए निर्देशक यह प्रकट करते हैं कि घरेलू बिजली स्कूलों में दाखिलों, अस्पतालों में बिस्तरों आदि जैसी सेवाओं की खपत में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। हालांकि 1966-67 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं पर कुल मिलाकर सम्भावना यही है, कि इन निर्देशकों में वृद्धि होती रही।

सारणी 2

खपत के कुछ वस्तुगत निर्देशक

पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान परिवर्तन

	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67
1. अनाज प्रति व्यक्ति . . .	—6.7	3.9	6.3	—15.5
2. खाद्य तेल प्रति व्यक्ति . . .	—7.0	21.3	—25.6	11.9
3. सूती कपड़ा प्रति व्यक्ति* . . .	2.1	3.4	—3.3	—5.5
4. घरेलू बिजली की खपत . . .	7.5	—1.2	10.0	अप्राप्य
5. प्राइमरी स्कूलों में दाखिले . . .	7.4	7.1	6.8	अप्राप्य
6. मिडिल स्कूलों में दाखिले . . .	9.6	9.9	5.0	अप्राप्य
7. माध्यमिक स्कूलों में दाखिले . . .	15.8	11.4	12.2	अप्राप्य
8. अस्पतालों के बिस्तर . . .	5.0	8.0	4.8	अप्राप्य

*कैलेंडर वर्षों से सम्बन्धित आंकड़े

खाद्य स्थिति

70. बहुत अधिक कमी वाले वर्ष में, जैसे कि 1966-67 में, खाद्य नीति के विभिन्न पहलुओं, जैसे जोरदार उत्पादन कार्यक्रम, अन्न की वसूली, अन्तर्राज्यीय व्यापार, आयातित अनाज के लिये वित्त प्रवन्ध और उसकी दुलाई, वितरण, मूल्य, सहायता-कार्य आदि का महत्व बढ़ जाता है। इन तथा इन से सम्बन्धित विषयों के बारे में किये जाने वाले निर्णयों का लाखों लोगों के कल्याण पर वास्तविक और तात्कालिक प्रभाव पड़ता है।

71. अन्न के विपणन में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का आधार यह अनुभव है कि अन्न की अत्यधिक कमी की स्थिति में इसके वितरण को गैर-सरकारी हाथों में रहने देना, समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी से मेल नहीं खाता। इसलिये आलोच्य अवधि में अन्न

की वसूली के काम को और भी जोरदार बनाया गया, राज्यों की सीमाओं के आरपार गैर-सरकारी व्यापार करने पर अधिक प्रतिबन्ध लगाये गये और सरकारी वितरण-व्यवस्था का काफी अधिक विस्तार किया गया ।

72. 1963-64 में अनाज की वसूली 10 लाख मेट्रिक टन से बहुत अधिक नहीं थी, पर 1964-65 में यह बढ़ कर लगभग 38 लाख मेट्रिक टन हो गयी । हाल के वर्षों में गेहूं और मोटे अनाज की वसूली भी की जाने लगी है जब कि, इससे पहले केवल चावल की ही वसूली की जाती थी । पहले केवल अधिक पैदावार वाले राज्यों में अनाज की वसूली की जाती थी, लेकिन अब कमी वाले राज्यों में भी अनाज खरीदा जाता है । अनाज की पैदावार में भारी कमी और शायद बाजार में बिकने योग्य अधिशेष अनाज में और भी अधिक कमी आने के बावजूद 1965-66 में अनाज की वसूली 40 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ गयी । 1966-67 में अप्रैल तक, लगभग 25 लाख मेट्रिक टन अनाज वसूल किया गया था ।

73. अधिक अनाज की वसूली के साथ-साथ और राज्यों की सीमाओं के आरपार किये जाने वाले अनाज के व्यापार पर सरकारी एकाधिकार हो जाने से सरकारी वितरण व्यवस्था का बहुत अधिक विस्तार हो गया है । 1966 में सांविधिक राशनिंग व्यवस्था 3 करोड़ लोगों पर लागू की गयी थी । इसका उद्देश्य बड़े-बड़े शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के उन भागों को, जहां लोगों की क्रय-शक्ति अधिक है, बाकी स्थानों से पृथक् करना और वहां के उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में अन्न देने का पूर्ण दायित्व ग्रहण करना है । इसके अलावा, इस उद्देश्य से सस्ते मूल्य की दुकानों की संख्या और अधिक बढ़ा दी गयी कि उपभोक्ताओं को कम से कम कुछ आवश्यकताएं उचित मूल्य पर पूरी हो सकें । इन सस्ते मूल्य की दुकानों के जरिये 20.10 करोड़ व्यक्ति अनौपचारिक राशन-व्यवस्था के अन्तर्गत आ गये । कुल मिला कर सरकारी सूत्रों द्वारा कुल खुदरा बिक्री 1962 में लगभग 44 लाख मेट्रिक टन से बढ़ कर 1965 में लगभग 1.1 करोड़ मेट्रिक टन से और 1966 में लगभग 1.41 करोड़ मेट्रिक टन हो गयी ।

74. जीवन धारण के लिये आवश्यक आधार प्राप्त करने के लिए केवल यही जरूरी नहीं है कि खास पदार्थ उपलब्ध हो सकें बल्कि उसके लिये पर्याप्त क्रय-शक्ति का होना भी आवश्यक है । फसल के खराब हो जाने से खास तौर से समाज के उस वर्ग की गरीबी और बढ़ गयी जो किसी न किसी प्रकार जीवन निर्वाह ही कर पाता है । इस आत्यन्तिक दुर्लभता की स्थिति को कम करने के लिए बहुत सी राज्य सरकारों ने जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात भी शामिल हैं अभावग्रस्त क्षेत्र में सहायता कार्यक्रम शुरू कर दिये जिससे कि स्थानीय समुदाय को दैनिक मजदूरी मिल जाय और उत्पादन के रूप में उन्हें कुछ परिसम्पत्ति की प्राप्ति भी हो सके ।

75. बिहार बुरी तरह से सूखे से पीड़ित है । राज्य की खरीद की फसल, सामान्यतः फसल के अनुपात में काफी कम आंकी गयी है । इस सूखे का प्रभाव 3 करोड़ जनता पर पड़ा है । कुछ सप्ताह हुए, बिहार की सरकार ने कुछ जिलों में, जहां जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 25 लाख है, अकाल सम्बन्धी संहिता के उपबन्धों को लागू कर दिया । केन्द्रीय सरकार की सहायता से बिहार प्रशासन ने इस संकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये कई कदम उठाये हैं । रबी की अधिकतम फसल पैदा करने के उद्देश्य से थोड़ी अवधि का उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया । अप्रैल 1967 के अन्त तक 7,36,000 से भी अधिक लोगों को सहायता और अन्न कार्य पर लगाया जा चुका था, अनुमान था कि इस संख्या में तेजी से वृद्धि हो जायगी । इसके अतिरिक्त 4,66,000 लोगों को मुफ्त सहायता और नगद राशन मिल रहा है । विभिन्न धर्मार्थ संगठनों द्वारा आयोजित मुफ्त भोजन देने के कार्यक्रम के अनुसार लगभग

45 लाख लोगों को पहले ही भोजन दिया जाता है। पीने का पानी पहुंचाने की स्थिति सुधारने के लिए व्यवस्था की गयी है, ताकि एक-एसी समस्या सुलझाई जा सके जिसका समाधान न होने पर बहुत अधिक लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता। पशुओं की सुरक्षा और अन्य चारा पहुंचाने के उपाय किये गये हैं। काफी मात्रा में मिटामिनो सहित चिकित्सा सामग्री, अन्य दवाएं और शिशु-आहार (बेबी फूड) राज्य में भेजा गया है।

76. सरकार की खाद्य नीति के प्रभाव का मूल्यांकन इस नीति के परिणामों को देखते हुए किया जाना चाहिए। लगातार दो सूखे पड़ने के बावजूद, एक महान विपत्ति टल गयी है। यह अधिकतर, पर्याप्त आयात के परिणामस्वरूप सम्भव हुआ है, जिसमें से अधिकांश अन्न मित्त देशों और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता अभिकरणों से उपहार के रूप में अथवा रियायती दरों पर ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है। किन्तु इस सम्बन्ध में अनाज के आयात के लिए देश द्वारा अर्जित अपनी विदेशी मुद्रा से काफी अधिक रकम के निर्धारित किये जाने और बन्दरगाहों की माल उठाने-धरने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किये गये उपायों, देश में परिवहन और वितरण व्यवस्था सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने के लिए किये गये प्रयत्नों का भी बहुत प्रभाव पड़ा है।

77. 1967 के कैलेंडर वर्ष के लिए लगभग 100 या 110 लाख मेट्रिक टन अन्न का आयात करने का कार्यक्रम है। इसमें से 43 लाख मेट्रिक टन खाद्य सहायता के रूप में (संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ, आस्ट्रेलिया और कनाडा से मिलने वाली 21 लाख मेट्रिक टन की सहायता को मिला कर) वर्ष की पहली तिमाही में प्राप्त हो चुका है भारत सहायता संघ की जो बैठक पेरिस में अप्रैल में हुई थी उसमें यह बात महसूस की गई थी कि वास्तव में 285 करोड़ रुपये (3800) लाख डालर के मूल्य की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। इससे लगभग 60 लाख मेट्रिक टन अनाज की आवश्यकता पूरी हो जायगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने सूचित किया है कि कम से कम इसका आधा भाग दूसरे देशों द्वारा समान आधार पर या तो प्रत्यक्ष खाद्य सहायता के रूप में या इस रूप में दिया जाना चाहिए कि अनाज के आयात के लिए साधन उपलब्ध हो सकें।

78. सरकारी वितरण व्यवस्था की आवश्यकता निःसन्देह इससे भी अधिक है। पिछले वर्ष अर्थात् 1966 में इस प्रकार लगभग 141 लाख मेट्रिक टन अनाज का कुल वितरण हुआ। इसलिए यह जरूरी है कि देश में अनाज वसूल करके सरकारी वितरण व्यवस्था के लिए अनाज की उपलब्धि बढ़ा कर वितरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र का विकास से भिन्न परिव्यय

79. केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों के संयुक्त व्यय को विकास से भिन्न परिव्यय और विकास परिव्यय सम्बन्धी परिव्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास से भिन्न परिव्यय मुख्यतः रक्षा, पुलिस, व्याज सम्बन्धी खर्च, असेनिक प्रशासन और अनाज के लिए राजसहायता से और विकास सम्बन्धी परिव्यय स्वास्थ्य शिक्षा, उद्योग, कृषि, परिवहन और इसी प्रकार के अन्य खर्चों से सम्बन्धित होता है। मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के कारण 1960 से शुरू होने वाले दशक के

प्रारम्भिक वर्षों में विकास से भिन्न परिव्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उसके बाद से इस वृद्धि की गति में काफी कमी हुई है और इसका कारण राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिए साधनों को बचाने की नीति है।

80. विकास से भिन्न इस सरकारी परिव्यय में हाल में जो परिवर्तन किये गये हैं उसका संक्षिप्त विवरण सारिणी 3 में दिया गया है। कुछ आंकड़े 1960-61 के मूल्या के अनुसार या राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में दिये गये हैं, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि खर्च की गति लगभग कितनी रही है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये आंकड़े वारतविक स्थिति को मोटे तौर पर प्रकट करते हैं। फिर भी इन से उन परिवर्तनों को, जो इन से प्रकट होते हैं, पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से समझना आसान हो सकेगा।

81. विकास से भिन्न परिव्यय, जो 1960-61 में 953 करोड़ या राष्ट्रीय आय का 6.7 प्रतिशत था, तेजी से बढ़ कर 1963-64 में 1760 करोड़ रुपये या राष्ट्रीय आय का 10.2 प्रतिशत हो गया। 1964-65 में मुद्रा के रूप में मामूली सी वृद्धि हुई। बहुत सम्भव है कि वारतविक रूप में इसमें कमी हुई हो, और निश्चय ही राष्ट्रीय आय की तुलना में विकास से भिन्न परिव्यय का अनुपात गिरा है पर 1965-66 में यह अनुकूल गति कुछ हद तक प्रतिकूल हो गयी जब कि खर्च 2031 करोड़ रुपये हो गया जिसका मुख्य कारण पाकिस्तान के साथ यद्ध छिड़ जाने के परिणाम स्वरूप रक्षा और पुलिस का खर्च बढ़ जाना और व्याज की अदायगियों में सामान्य वृद्धि हो जाना था। विशेषकर सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि को देखते हुए विकास से भिन्न, अन्य परिव्यय की वृद्धि मामूली रही।

82. 1965-66 के मुकाबले 1966-67 के संशोधित अनुमानों में 515 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। फिर भी, इतनी अधिक वृद्धि के लिए उन विशेष परिस्थितियों का स्पष्टीकरण आवश्यक है जो इसके लिए जिम्मेदार है। रक्षा कार्यों और व्याज की अदायगियों के अन्तर्गत अधिकांश वृद्धि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप, आयातित माल और उपकरणों की रूपया लागत में वृद्धि हो जाने और विदेशी ऋणों पर रूपयों के मूल्य में परिशोधन-प्रभार बढ़ जाने के कारण हुई है। विकास से भिन्न शेष परिव्यय में काफी वृद्धि अनाज के सम्बन्ध में दी गयी राज सहायता के कारण भी हुई है। 130 करोड़ रुपये का यह खर्च अवमूल्यन के कारण आयातित अनाज की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के निर्णय के कारण हुआ। दुर्भिक्ष सहायता पर होने वाले खर्च में भी वृद्धि करनी पड़ी। इससे प्रकट होता है कि खेती की पैदावार कम होने के कारण सरकारी खजाने पर अनिवार्य रूप से दबाव पड़ा। इसके अलावा अनाज और कृषि सम्बन्धी कच्चे माल की कमी के कारण बहुत हद तक, रहन-सहन के खर्च में तेजी से वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते की मांग की गयी। यदि अवमूल्यन के प्रभाव, अनाज के लिए दी गयी राज सहायता और दुर्भिक्ष सहायता को छोड़ दिया जाय, तो 1966-67 की विकास से भिन्न परिव्यय की वृद्धि मोटे तौर पर 235 करोड़ रुपये तक पहुँचेगी।

83. 1967-68 के अन्तरिम बजट के अनुमानों से नियन्त्रण की अटूट स्थिति का पता चलता है। पिछले वर्ष के संशोधित आंकड़ों की तुलना में, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के, विकास से भिन्न, संयुक्त परिव्यय में थोड़ी सी ही वृद्धि होने का अनुमान है।

सारणी 3

सरकारी क्षेत्र का विकास से भिन्न परिव्यय

	1960-	1963-	1964-	1965-	1966-	1967-
	61	64	65	66	67	68
	(संशोधित (अन्त- अनुमान) रिम बजट अनुमान)					
1. केन्द्र और राज्यों का विकास से भिन्न परिव्यय (करोड़ रुपये) (चालू मूल्य)	953	1760	1796	2031	2546	2623
2. मद I का प्रतिशत वितरण						
रक्षा	(29.5	46.4	44.9	43.6	37.0	36.9
पुलिस	(10.4	7.8	8.8	9.2	8.1	8.4
व्याज सम्बन्धी अदायगियां	(22.9	17.2	19.7	20.8	21.2	22.7
कर-संग्रह पर व्यय	(7.7	4.3	4.6	5.0	4.4	4.6
बाकी परिव्यय (अन्य प्रशासन और अन्न सम्बन्धी राज सहायता सहित)	29.5	24.3	22.0	21.4	29.3	27.4
3. राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में केन्द्र और राज्यों का विकास से भिन्न परिव्यय	6.7	10.2	9.0	9.9	अप्राप्य	अप्राप्य
4. केन्द्र और राज्यों का विकास से भिन्न परिव्यय (स्थिर मूल्यों के रूप में) पिछले वर्ष की अपेक्षा परिवर्तन का प्रतिशत	—	27.1	—6.3	5.3	अप्राप्य	अप्राप्य

टिप्पणियां

- विकास से भिन्न परिव्यय में भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच हुए लेखा सम्बन्धी लेनदेन शामिल नहीं किये गये हैं। अबमूल्यन के बाद भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को रुपयों के रूप में 207 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अभिदान (सब्सक्रिप्शन) दिया था। ये अदायगियां विशेष प्रतिभूतियों का रूप ले लेती हैं और तदनु रूप प्राप्तियां "पूंजी प्राप्तियों" में जमा की जाती हैं। (देखिए परिशिष्ट की सारणी 2(1))

2. मद 4 में 1960-61 के मूल्यों के अनुसार परिव्यय दिया गया है और प्रतिशत परिवर्तन दिखाया गया है। अन्तर्निहित व्यूतक (डिफ्लेटर) केन्द्रीय सरकार के बजटों के विलेक्षण से निकाला जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा खपत पर सीधे किये जाने वाले व्यय का वर्गीकरण मजदूरी तथा सामान और सेवाओं पर होने वाले खर्च के रूप में किया जाता है। इन खर्चों को, मजदूरी में से महंगाई भत्ता घटा कर और थोक मूल्यों के सूचक अंक के अनुसार सामान और सेवाओं का खर्च कम करके, स्थिर मूल्यों के रूप में दिखाया जाता है।

विकास के लिए राजस्व अधिशेष

84. बजट की सम्पूर्ण स्थिति पर विकास से भिन्न कार्यों पर होने वाले सरकारी खर्च का जो प्रभाव पड़ता है वह करों और अन्य चालू राजस्वों की वृद्धि के संदर्भ में अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। विकास से भिन्न कार्यों पर होने वाले परिव्यय से चालू राजस्व का अधिक होना अर्थात् उसका अधिशेष, देश या विदेश से कर्ज लिये बिना विकास-कार्यों के लिए वित्त-व्यवस्था करने की सरकार की क्षमता का द्योतक है इसलिए सारणी 4 में विकास से भिन्न कार्यों पर होने वाले परिव्यय की तुलना में चालू राजस्व की हाल की प्रवृत्तियों को संक्षेप में दिखाया गया है।

85. 1960 से शुरू होने वाले दशक के प्रारम्भिक वर्षों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त चालू राजस्वों में तेजी से वृद्धि हुई। इनकी रकम, जो 1960-61 में 1784 करोड़ रुपया थी, बढ़ कर 1963-64 में 3050 करोड़ रुपया हो गयी। दूसरे शब्दों में, यह रकम राष्ट्रीय आय के 12.6 प्रतिशत से बढ़ कर राष्ट्रीय आय के 17.7 प्रतिशत तक पहुंच गयी।

विकास से भिन्न कार्यों पर होने वाले परिव्यय में हुई वृद्धि की अपेक्षा राजस्वों में कहीं अधिक वृद्धि हुई जिससे विकास के लिए प्राप्य राजस्व-अधिशेष, जो 1960-61 में 831 करोड़ रुपया था, बढ़ कर 1963-64 में 1290 करोड़ रुपया हो गया। दूसरे शब्दों में, यह राजस्व-अधिशेष राष्ट्रीय आय के 5.9 प्रतिशत से बढ़ कर 7.5 प्रतिशत हो गया। ये अनुकूल प्रवृत्तियाँ तीसरी आयोजना के बाद के वर्षों में बनी रहीं और 1965-66 में, विकास-कार्यों के लिए प्राप्य राजस्व अधिशेष 1746 करोड़ रुपये या राष्ट्रीय आय के 8.5 प्रतिशत तक पहुंच गया।

86. पर विकास-कार्यों के लिए प्राप्य राजस्व-अधिशेष में कई वर्षों तक तेजी से वृद्धि होने के बाद 1966-67 में उसमें 10 प्रतिशत की कमी हो गयी। यह कमी विकास से भिन्न कार्यों पर होने वाले परिव्यय में बहुत वृद्धि होने और साथ ही सरकारी राजस्व में केवल 9 प्रतिशत की मामूली-सी वृद्धि होने के कारण हुई। यदि अवमूल्यन के बाद निर्यात-शुल्क न लगाये गये होते, तो राजस्व में और कम वृद्धि होती और इस प्रकार विकास के लिए प्राप्य अधिशेष में और भी अधिक कमी हुई होती। आय-कर, निगम कर, आयात-शुल्कों और भूमि-कर द्वारा आशा से कम प्राप्ति हुई। कृषि को जो धक्का लगा और सारी अर्थ-व्यवस्था पर उसका जो प्रभाव पड़ा उससे सरकारी-राजस्व में कमी हुई। पेट्रोलियम से बनी वस्तुओं के उत्पादन-शुल्क में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप फेर-बदल किये जाने के कारण भी राजस्व में भारी कमी हुई। गैर-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा बजट में दिये जाने वाले वास्तविक अंशदानों पर भी सामान्य आर्थिक स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

87. कुल मिला कर चालू सरकारी राजस्व के, राष्ट्रीय आय के साथ होने वाले अनुपात में भी, जो 1960 के बाद के वर्षों में तेजी से बढ़ गया था, 1966-67 में कमी होने की सम्भावना है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1967-68 के अन्तरिम बजटों में, सरकारी राजस्व में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। ये बजट सामान्यतः करों के मौजूदा कानूनों पर आधारित हैं इन अन्तरिम बजटों के अनुसार, विकास के लिए प्राप्य राजस्व-अधिशेष में चालू वित्तीय वर्ष में लगभग एक चौथाई की वृद्धि होनी चाहिए। यह अनुकूल अनुमान विकास से भिन्न कार्यों पर किये जाने वाले परिव्यय के नियन्त्रण की मात्रा का द्योतक है।

सारणी 4

विकास से भिन्न कार्यों पर होने वाले परिव्यय की तुलना में चालू राजस्व का अधिशेष

	1960- 61	1963- 64	1964- 65	1965- 66	1966- 67 अनुमान	1967- 68 बजट अनुमान
1. कुल चालू राजस्व : केन्द्र और राज्य (करोड़ रुपयों में)	1784	3050	3327	3777	4118	4593
2. विकास से भिन्न कार्यों पर होने वाला कुल व्यय (केन्द्र और राज्य) (करोड़ रुपयों में)	953	1760	1796	2031	2546	2623
3. विकास से भिन्न कार्यों पर होने वाले व्यय की तुलना में चालू राजस्व का अधिशेष (करोड़ रुपयों में)	831	1290	1531	1746	1572	1970
4. चालू राजस्व के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष	46.6	42.3	46.0	46.2	38.2	42.9
5. राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष	5.9	7.5	7.7	8.5	अप्राप्य	अप्राप्य
6. राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में कुल चालू राजस्व	12.6	17.7	16.6	18.4	अप्राप्य	अप्राप्य

विकास-कार्य

88. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विकास-सम्बन्धी परिव्यय में तीसरी आयोजना की सारी अवधि में तेजी से वृद्धि होती रही। राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में, इन परिव्ययों में तीसरी आयोजना के अन्तिम वर्ष में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि दूसरी आयोजना के अन्तिम वर्ष में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। (देखिए सारणी 5) मूल्यों की वृद्धि को हिसाब में लेते हुए, 1966-67 के संशोधित अनुमान से यह प्रकट होता है कि चौथी आयोजना के पहले वर्ष में इस वृद्धि में रुकावट पड़ गयी। बहुत सम्भव है कि सरकारी परिव्यय को देखते हुए, 1960-61 के मूल्यों के रूप में, विकास-कार्य 1966-67 में, उससे पहिले के वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हुआ हो। विकास कार्य में हुई अस्थायी कमी, सामान्य मुद्रा-बाहुल्य-कारी स्थिति को देखते हुए सरकारी खर्च के विस्तारकारी प्रभाव को नियन्त्रण में रखने के लिए जानबूझ कर किये गये नीति-सम्बन्धी निर्णय के कारण हुई।

89. 1966-67 के बजट-अनुमान में, इससे पहले के राजस्व-वर्ष की तुलना में (देखिए परिशिष्ट सारणी 2.1) आयोजना-सम्बन्धी व्यय का स्तर अपेक्षाकृत कम होने और आयोजना से भिन्न विकास से सम्बन्धित परिव्यय में थोड़ी सी (मार्जिनल) वृद्धि होने का अनुमान किया गया था। यद्यपि विकास-सम्बन्धी परिव्यय के संशोधित आंकड़ों से 1965-66 के मुकाबले 163 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय प्रकट होता है, पर यह वृद्धि राजस्व-सम्बन्धी नियन्त्रण की सामान्य नीति में ढील देने के कारण उतनी नहीं हुई जितनी असामान्य परिस्थितियों के प्रभाव के कारण हुई। अधिक परिव्यय होने का मुख्य असाधारण कारण अवमूल्यन और चुनी हुई वस्तुओं के लिए राजसहायता देकर विनिमय की नयी दर से अर्थ-व्यवस्था का तालमेल बैठाने के काम को आसान बनाने का सरकार का निश्चय था। आयोजना-सम्बन्धी प्रायोजनाओं का खर्च रुपये के रूप में उस सीमा तक बढ़ गया जिस सीमा तक उनके लिए आयात किया गया। इसके अलावा, सरकार ने आयातित रासायनिक खाद और जूट की कीमत को अस्थायी रूप से राज-सहायता देकर कम करने का फैसला किया इसके अलावा आयात की चुनी हुई मर्दों पर नकद राजसहायता दी गयी (यह राजसहायता विकास-सम्बन्धी परिव्यय में शामिल कर ली गयी है, पर अन्न के लिए दी जाने वाली राजसहायता विकास सम्बन्धी परिव्यय में शामिल नहीं की गयी है)। यदि ये असामान्य कारण न होते तो 1966-67 में सरकारी क्षेत्र का विकास सम्बन्धी परिव्यय पहले के वर्ष की तुलना में कुछ ही अधिक होता।

90. 1967-68 के अन्तरिम बजट इस आधार पर बनाये गये कि सामान्य आर्थिक स्थिति के कारण राजस्व-सम्बन्धी अनुशासन की नीति को जारी रखना आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार के मामले में, विकास-सम्बन्धी परिव्यय करों के मौजूदा कानूनों के आधार पर प्राप्त साधनों तक ही सीमित रखा गया। राज्यों के अन्तरिम बजटों में विकास सम्बन्धी जितने परिव्यय की व्यवस्था की गयी है, उसे मिलाकर सरकारी क्षेत्र का विकास-सम्बन्धी कुल परिव्यय, जिसके लिए 1967-68 के बजट में व्यवस्था की गयी है पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में केवल 4 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि केन्द्र और राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नये बजटों में इन आंकड़ों में परिवर्तन होंगे। पर यह स्पष्ट है कि चालू वर्ष के विकास-सम्बन्धी परिव्यय में पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में वास्तविक रूप में खास वृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक अन्तरिम बजटों की गयी व्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि न कर दी जाय।

91. हाल के वर्षों में स्थिरीकरण और बजट-सम्बन्धी सम्पूर्ण नियन्त्रण की जो नीति रही है उसकी वृद्धि से प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों की छानबीन साधारणतः जितनी आवश्यकता से की जाती है उससे

भी अधिक मावधानी से करनी पड़ती है। सम्भाव्य व्यय और प्रत्याशित लाभ की पूरी जांच के बाद कड़ी कर्साटियों के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ती हैं। इस आधार पर पिछले वर्ष और अन्तरिम बजट में भी उन योजनाओं पर जोर दिया गया जो कृषि सम्बन्धी नयी कार्य प्रणाली को लागू करने, कृषि सम्बन्धी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं पूरी करने वाले उद्योगों की क्षमता को बढ़ावा देने और परिवार-नियोजन के कार्यक्रम का पूरा वित्त-प्रबन्ध करने के उद्देश्य से बनायी गयी थीं। दूसरे क्षेत्रों में, उन प्रायो-जनाओं के लिए धन निर्धारित किया गया है जिनका निर्माण-कार्य चालू है और पूरा होने ही वाला है, ताकि जो पुंजी पहले लगायी जा चुकी है उसका उत्पादन पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़े। निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से बाहर शुरू की जाने वाली नयी प्रायोजनाओं की संख्या आवश्यक रूप से कम से कम कर दी गयी है।

92. कृषि-विकास को जो प्राथमिकता दी गयी है वह इस क्षेत्र पर किये गये परिव्यय का कुल व्यय के साथ जो अनुपात है उसके उल्लेख से स्पष्ट की जा सकती है। कृषि-कार्यक्रमों, सहकारिता, सामुदायिक विकास, सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण पर किया गया आयोजना-सम्बन्धी व्यय तीसरी आयोजना की अवधि में किये गये कुल व्यय का लगभग पांचवां भाग था। 1966-67 के बजट में इस क्षेत्र के लिए आयोजना-सम्बन्धी कुल परिव्यय के इससे भी अधिक भाग की व्यवस्था की गयी है। पर इसकी पुष्टि करने के लिए, उपयुक्त व्योरे के सहित संशोधित अनुमान प्राप्त नहीं थे। केन्द्रीय सरकार के 1967-68 के अन्तरिम बजट में आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय का लगभग एक चौथाई भाग कृषि के लिए निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का 60 प्रतिशत से अधिक भाग कृषि-सम्बन्धी योजनाओं के लिए दिया जायगा, जबकि 1966-67 में लगभग 52 प्रतिशत भाग दिया गया था।

सारणी 5

सरकारी क्षेत्र का विकास सम्बन्धी परिव्यय

	1960-61	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
					(संशोधित अनुमान)	(बजट अनुमान)
1. केन्द्र और राज्यों का विकास संबंधी परिव्यय (करोड़ रुपयों में) (चालू मूल्य)	1672	2524	2953	3488	3651	3655
2. राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में केन्द्र और राज्यों का विकास सम्बन्धी परिव्यय	11.8	14.7	14.8	17.0	प्राप्य नहीं	प्राप्य नहीं

1960-	1963-	1964-	1965-	1966-	1967-
61	64	65	66	67	68
				(संशोधित अनुमान)	(बजट अनुमान)

3. केन्द्र और राज्यों का विकास सम्बन्धी परिव्यय (स्थिर मूल्य) (पिछले वर्ष के मुका- बले प्रतिशत परि- वर्तन)	—	15.3	11.6	11.6	-2.6	प्राप्त नहीं
--	---	------	------	------	------	--------------

टिप्पणी : राजस्व बजटों में सम्मिलित विकास-सम्बन्धी परिव्यय को सारणी 3-1 की टिप्पणी में दिये गये सूचकांक के अनुसार कम कर दिया गया है। पूंजीगत बजटों में सम्मिलित विकास-सम्बन्धी परिव्यय केन्द्रीय सरकार के बजटों का विश्लेषण कर के निकाले गये उपलक्षित सूचकांक का उपयोग कर के कम कर दिया गया है। सारणी 6 की टिप्पणी देखिये।

सरकारी और गैर-सरकारी निवेश

93. भारतीय अर्थ-व्यवस्था में पूंजी-निर्माण का स्तर 1966-67 में नीचा रहा। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष के निवेश के अनुपात के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण तो उपलब्ध नहीं थे पर उपर्युक्त अनुमान की पुष्टि के लिए पर्याप्त संकेत मौजूद थे। देश में पूंजीगत माल का उत्पादन पहले के वर्ष की अपेक्षा बहुत धीमी गति से बढ़ा। (देखिये सारणी 6)। पूंजीगत माल के आयात में जो सामान्यतः कुल निवेश का लगभग एक-चौथाई भाग होता है, 1966-67 में काफी कमी हो गयी।

94. सरकारी क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय निवेश में से मोट तौर पर दो-तिहाई निवेश हुआ। दुर्भाग्य से, सरकारी निवेश के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए बजट के आंकड़ों का आसानी से पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। हाल के वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक वर्गीकरण किया गया है। इससे प्रकट होता है कि केन्द्र के कुल स्थिर-पूंजी-निर्माण की गति 1965-66 में धीमी हो गयी। (देखिये सारणी 6)। 1966-67 के आंकड़ों का वर्गीकरण नया बजट पेश होने के बाद ही किया जायगा। पर विकास-सम्बन्धी परिव्यय के बारे में (जिसमें निवेश-सम्बन्धी व्यय और सामाजिक सेवाओं आदि पर होने वाला चालू परिव्यय शामिल है) जो बात पहले कही जा चुकी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार द्वारा किया जाने वाला पूंजी-निर्माण 1966-67 में प्रायः इससे पहले के वर्ष के स्तर पर ही बना रहा।

95. सरकारी निवेश 1966-67 में या तो उससे पहले के वर्ष की अपेक्षा कम हो गया या उसके बराबर रहा। ऐसा होने का मुख्य कारण यह था कि बजट-सम्बन्धी नियंत्रण के द्वारा अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाने का नीति-विषयक निश्चय किया गया था। बहुत सम्भव है कि गैर-सरकारी

क्षेत्र के पूंजी-निर्माण में भी रुकावट पड़ गयी हो। सरकारी खर्च में कमी किये जाने से गैर-सरकारी बिक्री की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और सम्भवतः गैर-सरकारी निवेशकों के मन में हिचक की भावना घर कर गयी। उत्पादन की कई दिशाओं में क्षमता का बेकार पड़ा रहना भी बाधक सिद्ध हुआ। दूसरी ओर, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातित पूंजीगत माल के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई और विदेशों से प्रायोजना-सम्बन्धी सहायता मिलने की अनिश्चितता के कारण स्थिति और भी बिगड़ गयी।

96. हलांके वर्षों के गैर-सरकारी निवेश के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना न होने की स्थिति में पूंजी बाजार की हालत और संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का विचार करने से कुछ जानकारी मिलती है। प्रायः संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल पूंजी-निर्माण के लिए आन्तरिक साधनों (लगभग 50 प्रतिशत); नये पूंजी निर्गमों (5 से 8 प्रतिशत तक) और ऋणों (20 प्रतिशत) से धन जुटाया जाता है। पूंजी-बाजार की हालत में 1966-67 में कुछ सुधार हुआ। सामान्य शैयरी के मूल्य 1966-67 में लगभग 7 प्रतिशत बढ़े जबकि 1961-62 से लम्बे अरसे तक उनके मूल्य घटते जा रहे थे। (देखिये परिशिष्ट सारणी 5.4)। यद्यपि पूंजी-बाजार में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, पर बाजार में जारी की गयी पूंजी के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है कि 1966-67 में गैर-सरकारी निवेश का स्तर नीचा था। गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा अधिलाभ (बोनस) और ऋणपत्रों से भिन्न शैयरी जारी करके कलेण्डर वर्ष 1966 के पहले नौ महीनों में 38 करोड़ रुपये की पूंजी जुटायी गयी जबकि उससे पहले के वर्ष की उसी अवधि में 56 करोड़ रुपये की पूंजी जुटायी गयी थी। विदेशी गैर-सरकारी पार्टियों के साथ तकनीकी सहयोग में भी कमी हुई है।



97. बहुत सम्भव है कि आलोच्य अवधि में संस्थागत वित्त साधनों पर संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र की निर्भरता बढ़ती रही हो। प्रमुख औद्योगिक वित्त-प्रबन्धक संस्थाओं द्वारा किये गये पूंजी-अंतरण के परिमाण में 1964-65 और 1965-66 में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। 1966-67 की पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं है, पर यह कहने के लिए काफी प्रमाण हैं कि इन संस्थाओं के कार्यों में तेजी से वृद्धि होती रही।

सारणी 6

निवेश के निर्देशक अंक

मद	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67
1. केन्द्रीय सरकार का कुल प्रत्यक्ष स्थिर पूंजी-निर्माण (स्थिर मूल्य) (प्रतिशत परिवर्तन)	15.0	8.0	0.1	प्राप्त नहीं
2. राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में चनी हुई गैर-सरकारी फर्मों का कुल स्थिर पूंजी-निर्माण	1.5	1.2	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
3. वित्त-प्रबंधक संस्थाओं द्वारा पूंजी-अंतरण (स्थिर मूल्य) (प्रतिशत परिवर्तन)	प्राप्त नहीं	29.0	20.0	प्राप्त नहीं

औद्योगिक विकास



वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

सद	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67
4. पूंजीगत माल का आयात (प्रतिशत परिवर्तन)	8.8	6.7	2.2	-32.9
5. पूंजीगत माल पैदा करने वाले उद्योगों का उत्पादन (प्रतिशत परिवर्तन)	11.0	6.3	6.6	3.5

टिप्पणियाँ :

सद 4 : 1960-61 के मूल्यों के आधार पर प्रदर्शित कुल स्थिर पूंजी-निर्माण, मशीनों पर होने वाला परिव्यय मशीनों और परिवहन के उपकरणों के सूचकांक के अनुसार कर दिया गया है। भवनों आदि पर होने वाला परिव्यय सीमेंट, लोहा और इस्पात, लट्ठों और इमारती लकड़ी, ईंटों और टाइलों, चूना और रेत के थोक मूल्यों और ग्रामीण कुशल श्रमिकों की क्रमिक मजदूरी की दरों को भारत करके निकाले गये सूचकांक के अनुसार कम कर दिया गया है।

सद 2 : गैर-सरकारी और गैर-वित्त-प्रबन्धक कम्पनियों की बाबत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित : (i) 5 लाख रुपये से अधिक चुकता-पूंजी वाली 1333 संयुक्त पूंजी (ज्वाएंट स्टॉक) कम्पनियों का नमूना। इस नमूने में मार्च 1963 में इस प्रकार की 74 प्रतिशत कम्पनियाँ शामिल थीं (ii) 5 लाख या इससे कम चुकता पूंजी वाली 951 संयुक्त पूंजी कम्पनियों का नमूना। इस नमूने में जून 1965 में लगभग 26 प्रतिशत कम्पनियाँ शामिल थीं (iii) 5 लाख रुपये से अधिक चुकता पूंजी वाली 501 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों का नमूना। इस नमूने में मार्च 1963 में 31 प्रतिशत कम्पनियाँ शामिल थीं।

सद 3 : ये आंकड़े भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, राज्यों के वित्तीय निगमों, राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा उत्पादन उद्योगों, खान-खुदाई, बिजली और सेवाओं के लिए ऋण देकर, खरीद का जिम्मा लेकर और प्रत्यक्ष अंशदान द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता (कुल) की बाबत है।

सद 4 : परिभाषा के लिए देखिये सारणी 12। 1966-67 के आंकड़ों का सम्बन्ध 1965 की अप्रैल से नवम्बर तक की अवधि की तुलना में 1966 की इसी अवधि से है।

सद 5 : परिभाषा के लिए देखिये परिशिष्ट की सारणी 1-1(9)। आंकड़ों का सम्बन्ध कैलेण्डर वर्षों से है।

क्षमता का विस्तार

98. इसमें कोई संदेह नहीं कि 1966-67 में पूंजी-निर्माण की गति में जो शिथिलता आई उससे पूंजी निर्माण की दीर्घवधि वृद्धि की प्रवृत्ति में अस्थायी रुकावट पैदा होने के अलावा दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए और ज्यों ही बुनियादी वस्तुओं के उत्पादन के रास्ते में प्रतिकूल मौसम द्वारा डाली गयी रुकावटें कम हो जाएं और सरकार को वित्तीय स्थिति अनेकाकृत सुदृढ़ हो जाय त्यों ही विकास कार्य की गति पट्टने के अनुसार चालू हो जानी चाहिए इसलिए अर्थ-व्यवस्था की निवेश सम्बन्धी S/99 M of F-3

आवश्यकताओं के बारे में दूर-ध्यापी दृष्टिकोण अपनाना और पूंजी-निर्माण के अगले दौर के लिए तैयारी करना अत्यन्त आवश्यक है। इस संदर्भ में चुने हुए क्षेत्रों में हाल में हुए क्षमता के विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओं की समीक्षा करना अप्रत्यागिक न होगा।

99. वृत्तियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है, खास तौर से परिवहन और विजली के क्षेत्र में, और यद्यपि, अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ और अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, पर वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है जिससे काम पूरे किये जाने के लिए बाकी पड़े हो। कुल मिलाकर रेलों में कुछ लाइनों में अधिक भारवहन क्षमता की काफी गुंजाइश है। हालांकि कुछ खास क्षेत्रों और कुछ लाइनों के रास्ते में रुकावटें हैं, पर डीजल और विजली से रेलें चलाने के कार्यक्रम ने प्रगति की है और इस तरह कुल माल ढुलाई में भाग से चलने वाली गाड़ियों द्वारा की जाने वाली ढुलाई का भाग 95 प्रतिशत से कम हो कर तीसरी आयोजना में 63 प्रतिशत रह गया है। रेलों में पूंजी लगाने के भावी कार्यक्रम का लक्ष्य यातायात की अनुमानित वृद्धि के अनुसार रेलों के डिब्बों आदि में वृद्धि करना, महत्वपूर्ण प्रमुख मार्गों पर रेल की दोहरी पटरियां विछाना और संकेत प्रणाली (सिगनल सिस्टम) में सुधार करना है। बन्दरगाहों के विकास के सम्बन्ध में लौह-खनिज जैसी भारी-भरकम वस्तुओं को रखने के स्थान की समस्या की ओर ध्यान केन्द्रित हुआ है। विशाखापत्तनम में खनिज के लिए नये घाट बना दिये गये हैं और उसे उठाने-धरने के लिए पूरी तरह से यन्त्र-चालित मंत्रालय लगा दिया गया है। पारादीप बन्दरगाह में भी इसी प्रकार का काम पूरा किया गया है और मद्रास, हल्दिया और मारमागाओ में भी यह काम शुरू किया जायगा।

100. 1966-67 में विजली प्रणाली का विस्तार होता रहा और भाखड़ा (पंजाब) के दायें किनारे कोयना (महाराष्ट्र) के दूसरे दौर, सावरीगिरी (केरल) के विजलीघर सहित 18 नये विजलीघर चालू किये गये। परिणाम यह हुआ कि विजली पैदा करने की कुल क्षमता में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा कई प्रायोजनाओं का निर्माण-कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है और इनमें से कई प्रायोजनाओं में 1967-68 में उत्पादन शुरू हो जायगा।

101. कई प्रकार का पूंजीगत माल बनाने में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंच रहा है। उदाहरण के लिए, अब देश में जहाजों और हवाई जहाजों को छोड़ कर, अधिकांश प्रकार के परिवहन उपकरण बनाने की क्षमता विद्यमान है। इसके अलावा, देश में बनायी जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाले आयातित माल की मात्रा में कमी करने में भी काफी प्रगति हुई है। वाणिज्यिक (कमर्शल) गाड़ियों के मामले में, भिन्न-भिन्न फर्मों द्वारा देश में दस हिस्सों का प्रयोग 1965 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक किया जाने लगा है।

102. दूसरा क्षेत्र, जिसमें भारत ने पर्याप्त क्षमता उत्पन्न की है, विजली पैदा करने और उसे जगह-जगह पहुंचाने के उपकरण बनाने का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 1966-67 में क्षमता का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। पन-विजली पैदा करने वाले एक्क, रिब्रिगियर और सरविट ब्रेकर आदि के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बायलर बनाने की क्षमता में लगभग 50 प्रतिशत की और विजली के ट्रांसफार्मर बनाने की क्षमता में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (हैदराबाद), हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भांपाल) और ज्योती (बड़ौदा) नामक एक-एक सरकारी फर्म ने पहले पहल तापीय दिब्बों बनाने के यंत्रों (जेनरेटिंग सेट) के निर्माण की क्षमता स्थापित की। हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भांपाल) में काम चल रहा है जिससे 1967-68 में समकालिक धारित्र (मिनक्रोनम कन्डेन्सर) बनाने की क्षमता स्थापित हो जानी चाहिए।

103. अब कोयले, खानों से धातु निकालने, भीमेंट, चीनी, कपड़े और कागज की पूंजीगत माल सम्बन्धी आवश्यकताएँ अधिकांश रूप से देश में होने वाले उत्पादन से पूरी की जा सकती हैं। रांची इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स द्वारा अगले दो वर्षों में इस्पात बनाने के कुछ उपकरण, जैसे कोक भट्टियाँ, ध्रमन भट्टियाँ और संपरिवर्तक (कन्वर्टर) बनाने की क्षमता का विकास किये जाने की आशा है। मशीनी-औजारों का संगठित रूप से उत्पादन करने की दृष्टि से तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि उल्लेखनीय है। उसी अवधि में भारी औजार बनाने की क्षमता प्राप्त की गयी और उसका विस्तार किया गया। रांची के भारी मशीनी औजार बनाने के कारखाने (हेवी मशीन टूल प्लांट) का निर्माण-कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है और इसे 1967-68 में चालू हो जाना चाहिये।

104. भारत विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की पूंजीगत वस्तुओं जैसे रासायनिक खाद और रासायनिक उद्योग के काम आने वाली आधुनिक मशीनों, मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों विशेष मशीनी औजारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलौह-धातु उद्योग के लिए मशीनों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। मौजूदा औद्योगिक ढांचे की इन कमियों से विकास की भावी रूपरेखा का पता चलता है। पर निवेश का नया दौर शुरू करने से पहले, मौजूदा उत्पादन एककों और निकट भविष्य में चालू किये जाने वाले एककों को सुदृढ़ करने और युवितसंगत आधार पर लाने के लिये संयुक्त प्रयत्न करना आवश्यक होगा। अभी इन नव निर्मित इंजीनियरी उद्योगों में से कुछ की क्षमता के उपयोग की गति अधिक नहीं है। अपर्याप्त मांग से खास तौर से ऐसे उद्योग प्रभावित हैं जैसे रेलवे-वैगन, वाणिज्यिक मोटर गाड़ियाँ, ट्रक और भारी ढांचे, औद्योगिक वायलर, ढली-गढ़ी वस्तुएँ, मशीनी औजार, तापीय और पनविजली उत्पादन संट आदि। मूलतः ये विसंगतियाँ इसलिये पैदा हुई हैं क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता का विस्तार इस आशा के अनुसार किया गया था कि निवेश संत्रंघी व्यय का संपूर्ण अनुपात तेजी से और लगातार बढ़ेगा। पूंजी निर्माण की गति में हाल में जो गिथिलता आई है उसमें यह आशा पूरी नहीं हुई। पर इसी आधार पर, जैसे जैसे विकास की गति में वृद्धि होने लगेगी, वैसे ही क्षमता के उपयोग की गति में काफी सुधार होना चाहिये। इस बीच, उत्पादन के स्वरूप में विविधता लाना और जहाँ संभव हो सके, निर्यात की संभावनाओं की खोज करने के लिये हर प्रकार से प्रयत्न करना आवश्यक होगा।

105. निर्मित मध्यवर्ती वस्तुओं के क्षेत्र में, रासायनिक खाद उद्योग की क्षमता का विचार करने के लिए अत्याधिक प्रयत्न किया गया है ताकि कृषि की नयी नीति पर अमल किया जा सके। सरकार ने दिसम्बर 1965 में यह घोषणा की थी कि 31 मार्च, 1967 से पहले जिन कारखानों के लिए लाइसेंस दिये गये थे उन पर, उत्पादन शुरू हो जाने के बाद से मान माल तक, मूल्य और वितरण सम्बन्धी नियंत्रण लागू नहीं होंगे। पर सरकार इन कारखानों के उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग वातचीत द्वारा तय किये गये मूल्य पर खरीद सकती है। देश और विदेश के गैर-सरकारी पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए यह रियायत हाल ही में, दिसम्बर 31, 1967 तक लाइसेंस देने वाले कारखानों को भी दे दी गयी थी। साथ ही सरकारी क्षेत्र में रासायनिक खाद के कुछ कारखाने खड़े करने का प्रवर्ध किया गया था। परिणाम-स्वरूप इस समय क्षमता में काफी अधिक वृद्धि की जा रही है। 1967 में नामरूप और गोरखपुर में सरकारी क्षेत्र के कारखाने और विष्णुवापत्तनम तथा गुजरात में गैर-सरकारी कारखाने चालू कर दिये जाएंगे। कुल मिलाकर खाद की क्षमता 1967-68 में 50 प्रतिशत से अधिक और फिर 1969-70 में 60 प्रतिशत से अधिक बढ़ जानी चाहिए। अनुमान है कि फास्फोरसयुक्त रासायनिक खाद की क्षमता भी तेजी से बढ़ जाएगी। भारतीय रासायनिक खाद उद्योग का निर्माण विकास की मौजूदा नीति का प्रमुख लक्ष्य है और उसे उच्च प्राथमिकता मिलनी रहेगी।

106. बुनियादी धातुओं के क्षेत्र में, बिजली, राइकेला और दुर्गापुर में इस्पात के सम्बन्ध में विस्तार के कार्यक्रम लगभग पूरे होने वाले हैं। बिजली में छठी घण्टा भट्टों की स्थापना का काम शुरू हो चुका है और बोझारो इस्पात कारखाने का निर्माण शुरू हो चुका है। दुर्गापुर में मिथ और बिनेप इस्पात कारखाने का काम दिसम्बर 1967 तक पूरा हो जाना चाहिए। जहाँ तक अलौह धातुओं का सम्बन्ध है, भारत के गाधनों का भंडार अपेक्षाकृत कम है। हवाई-चुम्बकीय और अन्य सर्वेक्षणों की सहायता से अलौह धातु खनिजों के नये भंडारों का पता लगाने के लिए जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस बीच जिन भंडारों का पता लगाया जा चुका है उनका पूरी तरह उपयोग करने और मांग का स्वरूप उस प्रकार बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे कि विदेशी मुद्रा कम से कम खर्च हो। इस मद्द्दे में, एल्यूमीनियम उद्योग की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि अलौह धातु खनिज का मुख्य देशी स्रोत बोकसाइट है। एल्यूमीनियम की क्षमता 1965-66 में 65 प्रतिशत तथा 1966-67 में 28 प्रतिशत और बढ़ी है।

107. हाल की घटनाओं और भविष्य की सम्भावनाओं की उपयुक्त समीक्षा न तो व्यापक है और न आरेवार। इसका उद्देश्य इस तथ्य को प्रकट करना है कि यद्यपि भारतीय उद्योग को धक्का लगा और उसके सामने ऐसी बाधाएँ आयीं, जिनसे बचा नहीं जा सकता था, पर उसने बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं की स्थिति में सुधार होते ही तेजी से पूँजी-निर्माण की प्रक्रिया को फिर से चालू करने के लिये पर्याप्त शक्ति संचित कर ली है। कृषि सम्बन्धी नये कार्यक्रम के सफल होने पर और निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि तथा उपयुक्तता पर ध्यान दिये जाने से समुचित राजस्व नीतियों के आधार पर और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के डिजाइन बनाने की कुशलता सहित आवश्यक प्रबन्ध सम्बन्धी और तकनीकी योग्यता के विकास और उसके उपयोग पर अधिक से अधिक ध्यान देकर प्रभावोत्पादक पूँजी-निर्माण की क्षमता में क्रमिक वृद्धि करना सम्भव होता चाहिए।